NATIONAL EDUCATION POLICY-2020
AT A GLANCE

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्यों ???

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का भाव लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, विषय संबंधित ज्ञान के साथ कौशल विकास, मूल्यपरक तथा रोजगारोन्मुखी शिक्षा की ओर उन्मुख करती है|
- इस नीति में सतत मूल्यांकन का प्रावधान है जिससे विद्यार्थियों के मानसिक उर्जा के साथ बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होगी|
- सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम होने के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव नहीं होगा|
- बहु-विषयक प्रणाली पर आधारित यह नीति विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार दूसरे संकाय के विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता देती है|
- पाठ्यचर्या में भारतीय ज्ञान पद्धति के समावेश के साथ पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है|
- प्रोद्योगिकी के अनुकूलतम उपयोग पर बल दिया गया है|

@GAG

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विशेषताएं/प्रावधान

- 03/04 वर्षीय बहु-संकायी स्नातक पाठ्यक्रम
- समस्त पाठ्यक्रम क्रेडिट पर आधारित होने के साथ ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत होंगे|
- 03/04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विद्यार्थी अधिकतम 07 वर्षों में पूर्ण कर सकता है|
- पाठ्यक्रम अवधि में विद्यार्थी "बहु-प्रवेश बहु-निकास" प्रावधान के अंतर्गत प्रथम वर्ष पूर्ण कर किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे उस संकाय के अंतर्गत 'सर्टिफिकेट' दो वर्ष पूर्ण कर छोड़ने पर 'डिप्लोमा' की उपाधि दी जाएगी एवं तृतीय वर्ष पूर्ण करने पर 'स्नातक' की उपाधि प्राप्त कर पाठ्यक्रम को छोड़ सकता है|
- जिन विद्यार्थियों को विषय विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने या शोध करने की इच्छा हो वे पाठ्यक्रम को निरंतर चौथे वर्ष में जारी रख सकते हैं एवं 'आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च' की उपाधि चौथे वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं| इस नीति के अंतर्गत बहु-विषयक शिक्षा, वैचारिक समझ एवं आलोचनात्मक सोच, नैतिक मूल्यों के साथ कौशल विकास को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है|
- सतत आतंरिक मूल्यांकन में 30% अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा में 70% अंकों का प्रावधान रखा गया है| विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु इन दोनों (आतंरिक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा) में कुल 40% प्राप्त करना अनिवार्य होगा|
- जेनेरिक एलेक्टिव के अंतर्गत कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय का विद्यार्थी अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय के किसी एक विषय को अपनी इच्छानुसार ले सकता है|
- विद्यार्थी शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफार्म यथा SWAYAM/MOOC में उपलब्ध पाठ्यक्रमों से भी विषय से संबंधित पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकता है|
- स्वाध्यायी छात्रों का समयबद्ध नामांकन और सतत मूल्यांकन द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना |

@GAG

पूर्व की शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अंतर

शिक्षा नीति 1986	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
▪ 03 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम	▪ 03/04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम
▪ वार्षिक प्रणाली	▪ सेमेस्टर प्रणाली
▪ क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम नहीं था	▪ क्रेडिट एवं अन्य संकाय के विषय चुनने की स्वतंत्रता
▪ आतंरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी	▪ आतंरिक मूल्यांकन में 30% एवं अंत सेमेस्टर में 70% अंकों का प्रावधान
▪ आनर्स पाठ्यक्रम नहीं था	▪ आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च पाठ्यक्रम चौथे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा
▪ इंटर्नशिप एवं एंट्रेप्रेन्यूरशिप की व्यवस्था नहीं थी	▪ इंटर्नशिप एवं एंट्रेप्रेन्यूरशिप को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है
▪ स्नातक पाठ्यक्रम के मध्य में पढ़ाई छोड़ने पर कोई भी उपाधि नहीं मिलती थी	▪ प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष के पश्चात पढ़ाई छोड़ने पर क्रमशः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त होगी

@GAG

पूर्व की शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अंतर

शिक्षा नीति 1986	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
▪ 03 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम	▪ 03/04 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम
▪ वार्षिक प्रणाली	▪ सेमेस्टर प्रणाली
▪ क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम नहीं था	▪ क्रेडिट एवं अन्य संकाय के विषय चुनने की स्वतंत्रता
▪ आतंरिक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी	▪ आतंरिक मूल्यांकन में 30% एवं अंत सेमेस्टर में 70% अंकों का प्रावधान
▪ आनर्स पाठ्यक्रम नहीं था	▪ आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च पाठ्यक्रम चौथे वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा
▪ इंटर्नशिप एवं एंट्रेप्रेन्यूरशिप की व्यवस्था नहीं थी	▪ इंटर्नशिप एवं एंट्रेप्रेन्यूरशिप को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है
▪ स्नातक पाठ्यक्रम के मध्य में पढ़ाई छोड़ने पर कोई भी उपाधि नहीं मिलती थी	▪ प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष के पश्चात पढ़ाई छोड़ने पर क्रमशः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त होगी

@GAG

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में लागू करने की कार्य योजना

प्रथम चरण: (2024-25)

- सत्र 2024-25 से स्नातक स्तर पर बी.ए., बीएस.सी., बीएस.सी.(गृह विज्ञान) बी.कॉम., बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गयी है|
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु समस्त विश्वविद्यालयों में एक समान अध्यादेश को लागू किया जाना|
- स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को क्रेडिट प्रणाली में परिवर्तित करना|
- विद्यार्थियों हेतु विषयों का समूह/विषय संयोजन प्रदान करना
- जेनेरिक इलेक्टिव, स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडिशन कोर्सेज का निर्माण कराना|
- स्वाध्यायी विद्यार्थियों का नियमित विद्यार्थियों के रूप में नामांकन करने पर प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी|

द्वितीय चरण:(2025-26)

- सत्र 2025-26 एवं अग्रगामी सत्रों के लिए विषय संयोजन करना
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कौशल केंद्र की स्थापना करना
- शोध-संवर्धन के लिए अनुदान/सीड मनी प्रदान करना

तृतीय चरण: (2026-27)

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना|
- विभिन्न विषयों की ऑनलाइन कक्षाओं का राज्य स्तर पर संचालन
- एकल संकायी महाविद्यालयों को बहु-संकायी महाविद्यालयों में परिवर्तित कराना
- चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम हेतु आधारभूत सुविधा प्रदान करना

@GAG

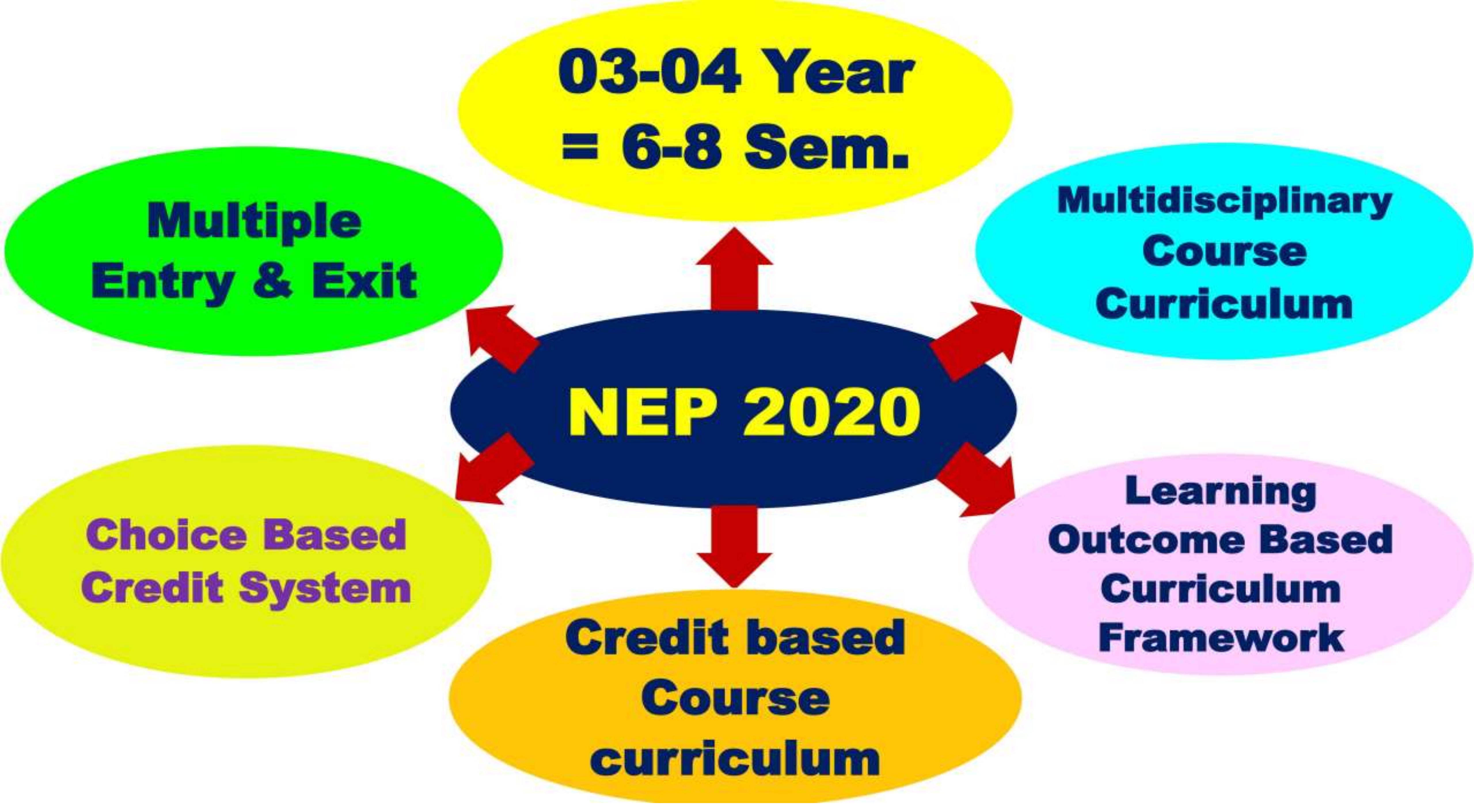
03-04 Year
= 6-8 Sem.
Multiple
Entry & Exit
Multidisciplinary
Course
Curriculum
NEP 2020
Choice Based
Credit System
Learning
Outcome Based
Curriculum
Framework
Credit based
Course
curriculum

National Education Policy – 2020: Terminology

FYUP	Four Year Undergraduate Program
Semester	Duration- Six months– 90 days /15 Week learning period
CCFUP	Course Curriculum Framework of UG Program
Program	The award for which Students are enrolled
Course	The Papers (Exam.) required for the Award of Program
Course Curriculum	Details of the Courses - Provided to learners -Comprises Learning Outcome/Contents/Resource/Assessment
Credit	Measurement of Learning duration; 1Credit =15 Period /Hours
CIA	Continuous Internal Assessment
ESE	End Semester Examination
Letter Grade	Letter denoting range of obtained marks
Grade Point	Number denoting the grade
Credit Point	Grade point x Credit earned
SGPA	Semester Grade Point Average
CGPA	Cumulative Grade Point Average

CCFUP: Multidisciplinary Course of Study

Choice Based Credit System (CBCS) under NEP- 2020

Course name (as per UGC)	Course code
1.Discipline Specific Course (Core)	DSC
2. Discipline Specific Elective	DSE
3. Generic Elective (Multidisciplinary)	GE
4. Ability Enhancement Course	AEC
5. Skill Enhancement Course	SEC
6. Value Addition Course	VAC
7. Internship/ Apprenticeship	-
8. Research Methodology / Project & Dissertation	-

Code: G4ZCGX

Pool of GE-01 Science Faculty

PAGE-01 (Public Adm.)

HIGE-01 (History)

PSGE-01 (Political Sc.)

PIGE-01 (Philosophy)

GOGE-01 (Geography)

ECGE-01 (Economics)

HSGE-01 (Home Science)

PYGE-01 (Psychology)

AHGE-01 (Ancient History)

SNGE-01 (Sanskrit Lit.)

COGE-01 (Commerce)

ENGE-01 (English Lit.)

SOGE-01 (Sociology)

HNGE-01 (Hindi Lit.)

Pool of GE-01 Arts Faculty

- CAGE-01 (Computer Application)
- GEGE-01 (Geology)
- PHGE-01 (Physics)
- FOGE-01 (Forestry)
- CHGE-01 (Chemistry)
- MBGE-01 (Microbiology)
- CSGE-01 (Computer Science)
- COGE-01 (Commerce)
- MAGE-01 (Mathematics)
- BTGE-01 (Biotechnology.)
- ZOGE-01 (Zoology)
- STGE-01 (Statistics)
- BOGE-01 (Botany)
- ITGE-01 (Information Technology)

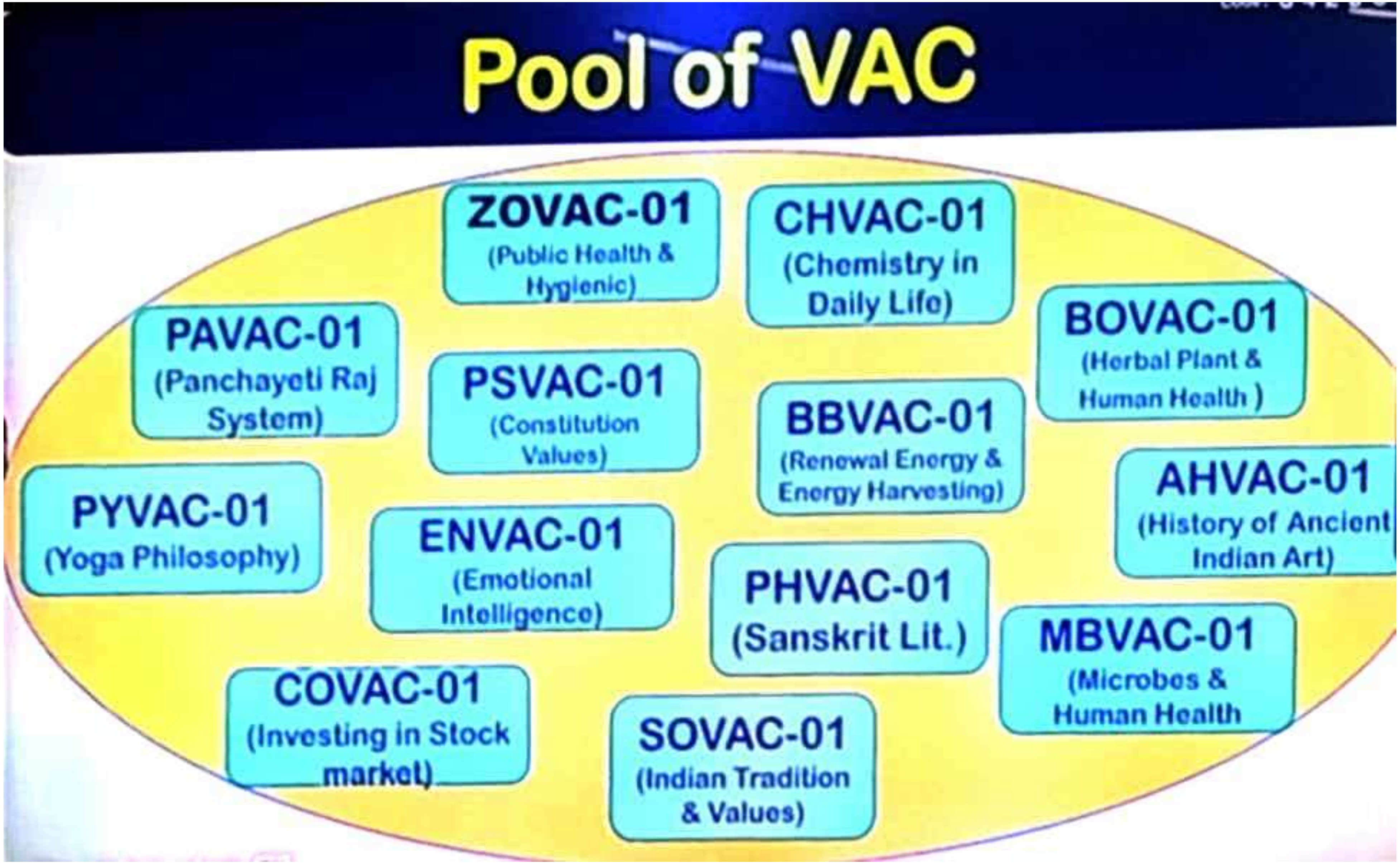
Pool of VAC
ZOVAC-01
(Public Health & Hygienic)
CHVAC-01
(Chemistry in Daily Life)
PAVAC-01
(Panchayeti Raj System)
PSVAC-01
(Constitution Values)
BOVAC-01
(Herbal Plant & Human Health)
BBVAC-01
(Renewal Energy & Energy Harvesting)
PYVAC-01
(Yoga Philosophy)
ENVAC-01
(Emotional Intelligence)
AHVAC-01
(History of Ancient Indian Art)
PHVAC-01
(Sanskrit Lit.)
MBVAC-01
(Microbes & Human Health
COVAC-01
(Investing in Stock market)
SOVAC-01
(Indian Tradition & Values)

CCFUP: Multidisciplinary Course of Study

Semester System -- Credit Based - Multiple entry & exit

1st Year	Semester -I	20 Credits	40 Credits	Certificate (44 Credits)
	Semester-II	20 Credits		
2nd Year	Semester-III	20 Credits	40 Credits	Diploma (84 Credits)
	Semester -IV	20 Credits		
3rd Year	Semester -V	20 Credits	40 Credits	Degree (120 Credits)
	Semester -VI	20 Credits		
4th Year	Semester -VII	20 Credits	40 Credits	Honors (160 Credits) or Honors with Research (164 Credits)
	Semester -VIII	20 Credits		

COURSE CURRICULUM

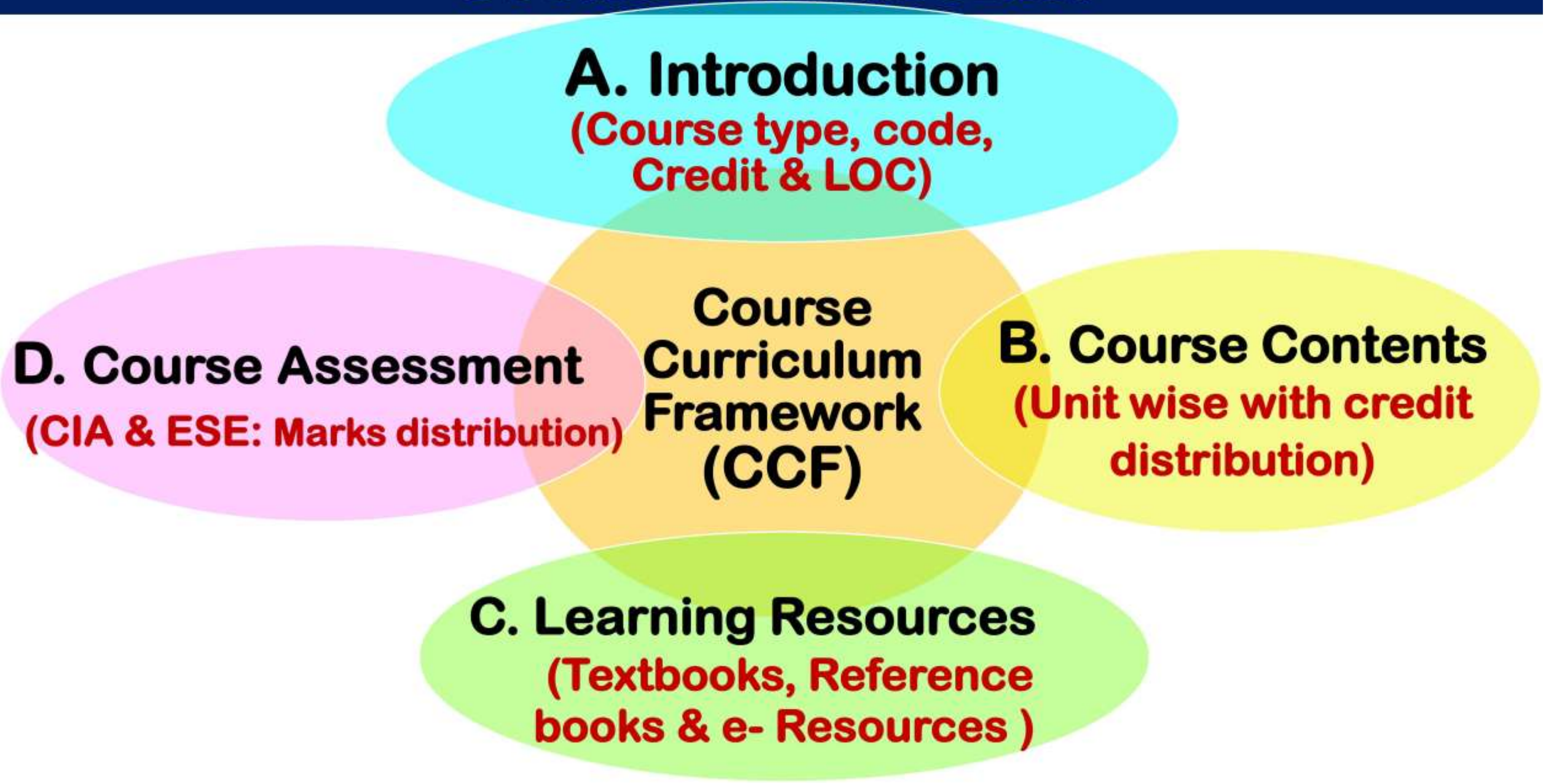

CREDIT BASED COURSE CURRICULUM

Credit	▪For class room Teaching-Learning 1 Credit = 15 Period (15 Hrs) ▪ For Laboratory Work / Field Work Learning 1 Credit = 30 Period (30 Hrs)
Course Nature & Course Credit	▪ DSC, DSE and GE – 04 Credit for each course 4 Periods per Week, Total 60 Periods ▪ Courses with Laboratory Work – Theory– 03 Credit - 3 Periods per week (45 Hrs) Practical– 01 Credits - 2 Periods per week (30 Hrs) ▪ AEC, SEC and VAC - 02 Credit for each course ▪ AEC and VAC– 2 Periods per week, Total 30 Periods ▪ SEC– 01C Theory (15 Hrs) + 01C Lab. / Field (30 Hrs)

1st Year CCFUP for B. Sc. (Math. & Life Sc.) and B. A.

Sem.	DSC(4C) A/B/C	DSE	GE(4C)	AEC(2C)	VAC / SEC (2C)	Credits
I	DSC A 1-(4C) DSC B 1-(4C) DSC C 1-(4C)	xx	GE-01 (4C) From the Pool	AEC-01 (2C) From the Pool (Evs/Eng/Hin)	VAC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
II	DSC A 2-(4C) DSC B 2-(4C) DSC C 2-(4C)	xx	GE-02 (4C) From the Pool	AEC-02 (2C) From the Pool (Evs/Eng/Hin)	SEC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit shall be awarded undergraduate certificate after securing requisite 44 credits *[Extra 4 credits of Voc/Skill course have to be earned from any recognised platform]*						40 Credits

2nd Year CCFUP FOR B. SC. (MATH. & LIFE SC.) AND B. A.

Sem.	DSC (4C) A/B/C	DSE / GE (4C)	AEC (2C)	SEC / VAC (2C)	Credits
III	DSC A 3-(4C) DSC B 3-(4C) DSC C 3-(4C)	DSE-01 of A/B/C (4C) OR GE-03 (4C) From the pool	AEC-03 (2C) From the Pool (Evs/Eng/Hin)	VAC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
IV	DSC A 4-(4C) DSC B 4-(4C) DSC C 4-(4C)	DSE-02 of A/B/C(4C) OR GE-04 (4C) From the pool	AEC-04 (2C) Communicative Language /English	SEC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit shall be awarded undergraduate certificate after securing requisite 84 credits *[Extra 4 credits of Voc/Skill course have to be earned from any recognised platform]*					80 Credits

3rd Year CCFUP for B. Sc. (Math. & Life Sc.) and B. A.

Sem.	DSC(4C) A/B/C	DSE /GE (4C)	SEC(2C)	VAC/Intern (2C)	Credits
V	DSC A 5 -(4C) DSC B 5 -(4C) DSC C 5 -(4C)	DSE-03 of A/B/C (4C) OR GE-05 (4C) From the pool	SEC-03 (2C) From the Pool	VAC-03 (2c) From the Pool	20 Credits
VI	DSC A 6 -(4C) DSC B 6 -(4C) DSC C 6-(4C)	DSE-04 of A/B/C (4C) OR GE-06 (4C) From the pool	SEC-04 (2C) From the Pool	Internship (2C)	20 Credits
Students on exit shall be awarded Bachelor's Degree					120 Credits

CCFUP for B. Sc. (Math. & Life Sc.) and B. A.

4th Year

For Award of Bachelor degree with Honors

(Students securing less than 7.5 CGPA)

VII	DSC -7 A/B/C (4C)	Four DSE-05 to 08 (4x4C)courses = 16C		20 Credits
VIII	DSC - 8 A/B/C (4C)	Four DSE-09 to 12 (4x4C)courses =16C		20 Credits
For Award of Bachelor degree with Honors & Research (Students securing at least 7.5 CGPA)				**Total 160 C**
VII	DSC -7 A/B/C(4C)	Three DSE-05 to 07 (3x4C) =12C	DS Research Methodology(4c)	20 Credits
VIII	DSC - 8 A/B/C(4C)	Three DSE-08 to 10 (3x4C) =12C	Research work Dissertation(4+4c)	24 Credits
Student will be Awarded Bachelor (Honors) or (Honors with Academic Research) in specific Discipline after securing the requisite credits on completion of Sem. VIII				Total 164 Credits

CCFUP FOR — B. COM, B. H. SC., BCA, BBA

Sem.	DSC(4C) A/B/C	DSE	GE(4C)	AEC(2C)	SEC / VAC(2C)	Credits
I	DSC A 1-(4C) DSC A 2-(4C) DSC A 3-(4C)	xx	GE-01 (4C) From the Pool	AEC-01 (2C) From the Pool	VAC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
II	DSC A 4-(4C) DSC A 5-(4C) DSC A 6-(4C)	xx	GE-02(4C) From the Pool	AEC-02 (2C) From the Pool	SEC-01 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit will be awarded undergraduate certificate by securing requisite 44 credits [Extra 4 credits of Voc/skill course have to be earned from any recognised platform]						40 C
III	DSC A 7-(4C) DSC A 8-(4C) DSC A 9-(4C)	DSE-01 of A/B/C (4C) Or GE-03 (4C) from the pool		AEC-03 (2C) From the Pool	VAC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
IV	DSC A 10-(4C) DSC A 11-(4C) DSC A 12-(4C)	DSE-02 of A/B/C(4C) Or GE-04(4C) from the pool		AEC-04 (2C) From the Pool	SEC-02 (2C) From the Pool	20 Credits
Students on exit will be awarded undergraduate certificate by securing requisite 84 credits [Extra 4 credits of Voc/skill course have to be earned from any recognised platform]						80 C

V	DSC A 13 -(4C) DSC A14 -(4C) DSC A 15 -(4C)	DSE-03 of A/B/C (4C) Or GE-05 (4c) from the pool	SEC-03(2c) From the Pool	VAC-03 (2C) From the Pool	20 Credits
VI	DSC A 16 -(4C) DSC A 17-(4C) DSC A 18 -(4C)	DSE-04 of A/B/C (4C) Or GE-06 (4C) from the pool	SEC-04(2c) From the Pool	Internship (2C)	20 Credits
Student on exit shall be awarded Bachelor's degree (in Field of Multidisciplinary study) after sem. VI					120 C
For Award of Bachelor degree with Honors (Students securing less than 7.5 CGPA)					
VII	DSC A -19 (4C)	Four DSE-05 to 08(4x4)courses =16c			20 Credits
VIII	DSC A -20 (4C)	Four DSE-09 to 12(4x4)courses =16c			20 Credits
For Award of Bachelor degree with Honors & Research (Students securing at least 7.5 CGPA)					
VII	DSC A -19 (4C)	Three DSE-05 to 07(3x4) =12c		DS Research Methodology (4c)	20 Credits
VIII	DSC A -20 (4C)	Three DSE-08 to 10(3x4) =12c		Research work Dissertation (4+4c)	24 Credits
Student shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) [Honors (160C) or Honors with Academic Research (164C)] after securing the requisite credits on completion of Sem. VIII					Total Cr. 164 C

COURSE ASSESSMENT

Maximum Marks	100	For 4 / 3 Credit	Passing Marks - 40
	50	For 2 / 1 Credit	Passing Marks - 20
CIA: Continuous Internal Assessment	30%	TWO Test /Quiz ONE Assignment	Test - 1 & 2 of 20/10 Marks Assignment - 10/05 Marks
	Marks Obtained		Better of 2 Test / Quiz + Assignment
ESE: End Semester Examination	70%	➢ Well defined Question Paper pattern ➢ Objective type, Short answer and Descriptive answer type Questions	
Passing Marks (40%) Consideration	40 out of 100 OR 20 out of 50 Cumulative Marks obtained in CIA + ESE		

ASSESSMENT: Numerically

FOR EACH THEORY and PRACTICAL PAPER

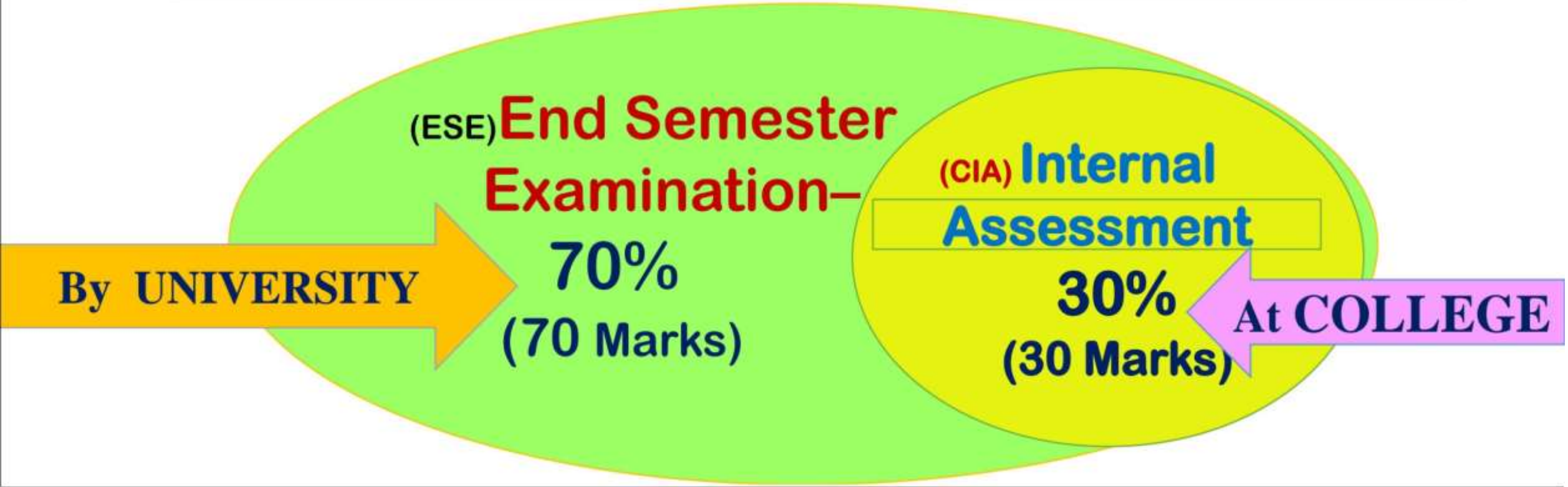

➢ ***The 'Project Work' / Dissertation / field work as per course in particular discipline will be applied within prescribed total marks of the course curriculum concerned.***

Internal Assessment: 30% (30 marks)

20%

Quiz / Test Examination - Twice (20 marks)

20 Marks | **20 Marks**

Conducted by the Teacher / Concerned Department at the College

Better obtained marks will be considered out of 20 marks

+

Seminar /

Field/Project work

Assignment-10%

10 Marks

Conducted during prescribed period

SEMESTER WISE PROMOTION

Odd Semester: I / III / V → Direct promotion → Even Semester: II / IV / VI

Semester II → Earned min. 50% Credit in I + II Sem. → Semester III

Semester IV → Earned min. 50% Credit in III + IV Sem. --- Must have cleared I and II Sem. → Semester V

- Any one can repeat the ESE to clear their backlog courses in co-respective ESE (Odd in odd & Even in even only)

- No Provision of Supplementary examination / Revaluation

- Provision of Special examination after declaration of VI Semester's Result to clear any backlog course of V & VI Semester

Later Grade And Grade Point

➢ The Semester Grade Point Average (SGPA) is computed from the grades as a measure of the performance in a given semester.

Letter Grade	Grade Point	% of Marks Obtained
O (Outstanding)	10	Above 90%
A+ (Excellent)	9	Above 80% to 90%
A (Very good)	8	Above 70% to 80%
B+ (Good)	7	Above 60% to 70%
B (Above average)	6	Above 50% to 60%
C (Average)	5	Above 40% to 50%
P (Pass)	4	40%
F (Fail)	0	Below 40%
Ab (Absent)	0	Absent

COMPUTATION OF SGPA AND CGPA

Semester	Course	Credit	Letter Grade	Grade point	Credit Point (Credit x Grade)
1st Sem.	Course 1	4	A	8	4 X 8 = 32
1st Sem.	Course 2	4	B+	7	4 X 7 = 28
1st Sem.	Course 3	4	B	6	4 X 6 = 24
1st Sem.	Course 4	4	O	10	4 X 10 = 40
1st Sem.	Course 5	2	C	5	2 X 5 = 10
1st Sem.	Course 6	2	B	6	2 X 6 = 12
		20			146
	SGPA				146/20 = 7.3

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6
Credit: 20 SGPA: 7.3	Credit: 20 SGPA:7.8	Credit:20 SGPA: 6.8	Credit: 20 SGPA: 7.4	Credit: 20 SGPA: 7.6	Credit 20 SGPA: 8.0

CGPA=[(20 x 7.3 + 20 x 7.8 + 20 x 6.8 + 20 x 6.8 + 20 x 7.4 + 20 x 8.0)/120] = 7.48

OR (7.3 + 7.8 + 6.8 + 7.4 + 7.6 + 8.0) ÷ 6 = 7.48

COURSE CURRICULUM PREPARATION

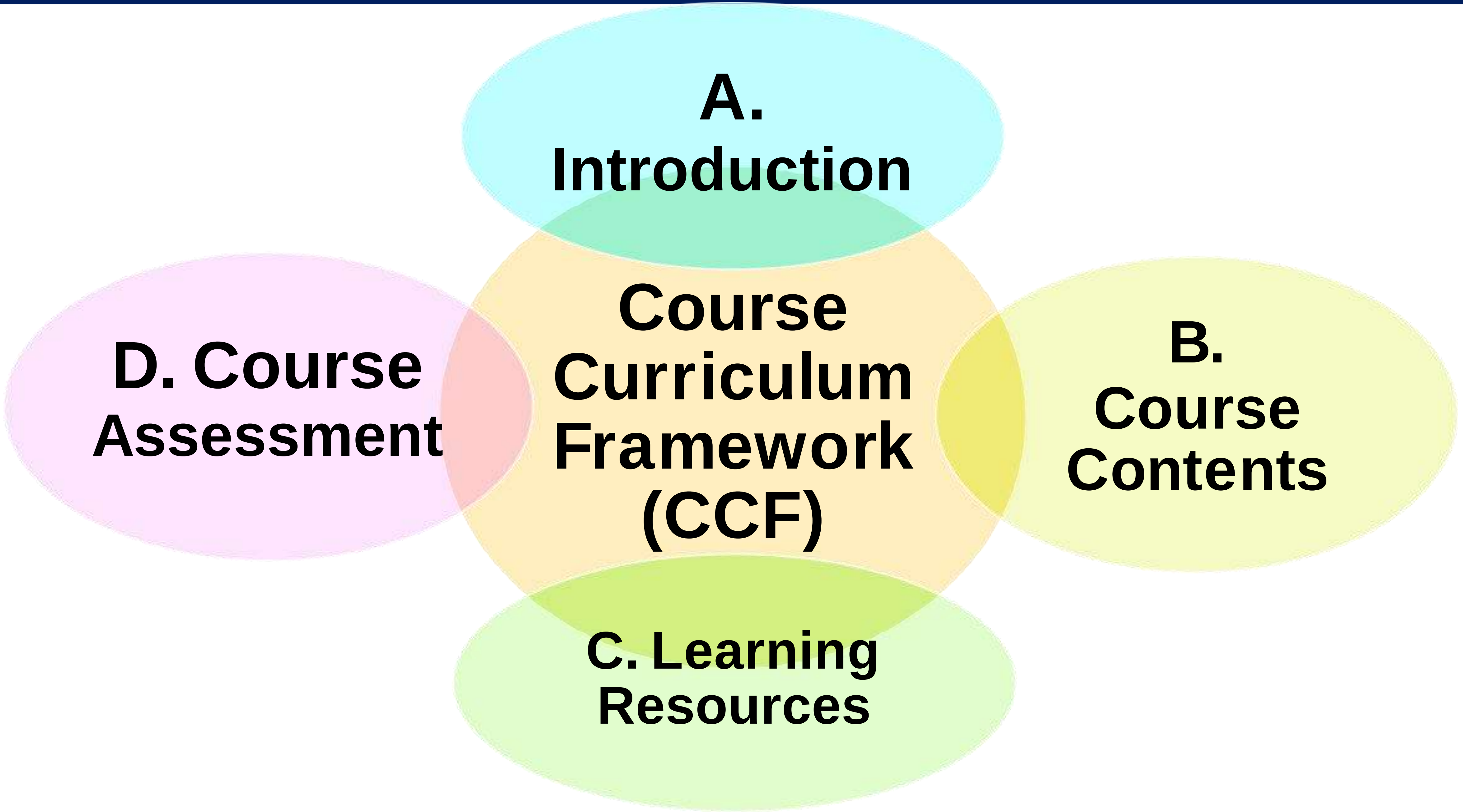

COURSE CURRICULUM : A. INTRODUCTION

Course Title & Code	➢ Well defined and Consistency (Code table) ➢ No Ambiguity / Redundancy / Overlapping / Repetition
Course Nature	▪ DSC, DSE and GE ▪ AEC, SEC and VAC
Course Credit	➢ Completely Credit based (C=15 Pd / 30 Pd Per Wk) ➢ DC: Without Practical – 4C / With Practical – 3C + 1C ➢ AEC, SEC and VAC – 2C
Course Outcome	❖ Learning Outcome -- Program Outcome (PO /PSO) ❖ CO: Well defined/ Point wise CO

COURSE CURRICULUM : B. COURSE CONTENTS

Credit based	➢ Well mapped with Periods / Hours ➢ Unit (4) wise well defined & balanced
IKS	IKS based Contents / Course Concerned
Course level	Considering Course level as Provided (CCFUP-p25-UGC)

COURSE CURRICULUM : C. Learning Resources

Text Books and Reference Books

e-Contents and e-Books

e-Resources – Adequate links / websites

Semester	Discipline Specific Courses - Major	Minor	Inter-disciplinary courses	Ability Enhancement courses	Skill Enhancement courses /Internship/Dissertation	Common Value-Added Courses	Total Credits
I.	(100 level)	(100 Level)	(1 course)	1 course)	(1 course)	1 /2 Courses)	20
II.	(100 level)	(100 Level)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	1 /2 Courses)	20
***Exit the program** securing 40 credits - awarded UG Certificate in the relevant Discipline /Subject provided they secure 4 credits in vocational courses or internship/Apprenticeship in addition 6 credits*							40
III	(200 level)	(200 & above)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	-	20
IV	(200 level)	(200 & above)	-	(1 course)	-		20
***Exit the program** securing 80 credits - awarded UG Diploma in the relevant Discipline /Subject provided they secure 4 credits in vocational courses or internship/Apprenticeship in addition 6 credits*							80
V	(300 Level)	(200 & above)	-	-	Internship	-	20
VI	(300 Level)	(200 & above)	-	-	-	-	20
Students who want to undertake 3-year UG program will be awarded UG Degree in the relevant Discipline /Subject upon securing 120 credits							120
VII	(400 Level)	(300 & above)	-		Research Project/ Dissertation	-	20
VIII	(400 Level)	(300 & above)	-				20
Students will be awarded UG Degree (Honors) with Research in the relevant							160

COURSE CURRICULUM : D. COURSE ASSESSMENT

Maximum Marks	100	For 4 / 3 Credit	Passing marks - 40
	50	For 2 / 1 Credit	Passing marks - 20
Internal Assessment	30%	Two test /Quiz One Assignment	Test -1 & 2 of 20/10 Marks each Assignment -10 / 05 Marks
	Marks Obtained		Average of 2 test + Assignment
Semester End Examination	70%	Objective type, Short answer & Descriptive answer type Questions	Section A 1. 10x1 =10 (O T Q) 2. 5x4 = 20 (SATQ) Section B – 4x10 =40 (DATQ)
			Section A 1. 5x1 =05 (O T Q) 2. 5x2 =10 (SATQ) Section B – 4x5 =20 (DATQ)

Details of Courses with their Allotted Credits

DSC & GE are the 4 Credit courses

AEC & VAC are the 2 Credit courses

Practical Courses are of 1 Credit

1st Semester Classes are of total 20 Credits.

1 Credit= 15 Hours of teaching(Lecture/Seminar/Tutorial) and 30 hours of practical work/field work/project/out of class activity etc. in a semester.

For Non Practical Courses

- 4 hour classes are to be taken per week for DSC & GE
- 2 hour classes are to be taken per week for AEC & GE

For Practical Courses

- Theory Class 3 Hours Per week + 2 hours Practical Periods per week for DSC & GE
- 2 hour classes are to be taken per week for AEC & GE

Tentative Time Table 2024-25

B. A./B. Sc. I Semester

Time / Day	10:30-11:30AM	11:30-12:30PM	12:30-01:30PM	1:30-2:30PM	2:30-3:30PM	3:30-4:30PM	4:30-5:30PM
Mon	History	Chemistry	AEC-English	Botany/Physics	Sociology	Practical - Zoology	
Tue	History	Chemistry	AEC-English	Botany/Physics	Sociology	Geography	Hindi Literature
Wed	Economics	Chemistry	History	Botany/Physics	Sociology	Geography	Hindi Literature
Thu	Economics	Zoology/Maths	History	VAC	Sociology	Practical -Botany/Physics	
Fri	Hindi Literature	Zoology/Maths	Economics	Geography	AEC-Hindi	Practical -Chemistry	
Sat	Hindi Literature	Zoology/Maths	Economics	VAC	AEC-Hindi	Practical -Geography	

Tentative Time Table 2024-25

B. A./B. Sc. I Semester

Time / Day	10:30-11:30AM	11:30-12:30PM	12:30-01:30PM	1:30-2:30PM	2:30-3:30PM	3:30-4:30PM	4:30-5:30PM
Mon	History	Chemistry	AEC-English/Hindi	Botany/Physics	Sociology	Practical - Zoology	
Tue	History	Chemistry	AEC-English/Hindi	Botany/Physics	Sociology	Geography	Hindi Literature
Wed	Economics	Chemistry	History	Botany/Physics	Sociology	Geography	Hindi Literature
Thu	Economics	Zoology/Maths	History	VAC	Sociology	Practical -Botany/Physics	
Fri	Hindi Literature	Zoology/Maths	Economics	Geography	Practical - Maths	Practical -Chemistry	
Sat	Hindi Literature	Zoology/Maths	Economics	VAC	Practical - Maths	Practical -Geography	

Model Time Table for Arts & Science Stream

DAY/Time	10-11AM	11-12Noon	12-01PM	01-02PM	02-03PM	03-04PM	04-05PM
Mon	DSC-Socio	DSC-Phy/Bot	DSC-Eco	DSC-Chem	Pol Sc/Home Sc	Pract-Chem	
Tue	DSC-Socio	DSC-Phy/Bot	DSC-Eco	DSC-Chem	Pol Sc/Home Sc	Pract-Home Sc.	
Wed	DSC-Socio	DSC-Phy/Bot	DSC-Hin Lit	DSC-Chem	Pol Sc/Home Sc	Pract-Bot/Phy	
Thur	DSC-Socio	DSC-Math/Zoo	DSC-Hin Lit	DSC-Geography/Psychology	Pol Sc/Home Sc	AEC-Eng/Hin	VAC
Fri	DSC-Hin Lit	DSC-Math/Zoo	DSC-Eco	DSC-Geography/Psychology	AEC-Eng/Hin	Pract-Zoo	
Sat	DSC-Hin Lit	DSC-Math/Zoo	DSC-Eco	DSC-Geography/Psychology	VAC	Pract-Geography/Psychology	

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. प्रदेश में सत्र 2024–25 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन पाठ्यक्रमों में लागू किया गया है?

उत्तर – प्रदेश में सत्र 2024–25 से समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.कॉम., बी.एस–सी., बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहें है।

प्रश्न 2. सेमेस्टर से तात्पर्य क्या है?

उत्तर – सेमेस्टर का तात्पर्य प्रति 06 माह की अध्ययन–अध्यापन की अवधि है । किसी पाठ्यक्रम संदर्भित निर्धारित पाठ्यचर्या का शैक्षणिक कार्य (टीचिंग लर्निग) एवं उसके मूल्यांकन कार्य सम्पादन हेतु छः/06 माह की अवधि का निर्धारण किया जाना सेमेस्टर कहलाता है, जहाँ एक सेमेस्टर में 15 सप्ताह/90 दिवस शैक्षणिक कार्य (टीचिंग लर्निंग) किया जाना सुनिश्चित होता है।

प्रश्न 3 क्रेडिट से क्या तात्पर्य है।

उत्तर – सैद्धांतिक कोर्स हेतु एक लेक्चर/पीरियड/कालखण्ड/घण्टा का अध्यापन प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात सेमेस्टर के अंतर्गत कुल 15 घण्टे/कालखण्ड का किया गया टीचिंग लर्निंग कार्य एक क्रेडिट होगा। यद्यपि प्रायोगिक कोर्स/फिल्ड कार्य/प्रोजेक्ट कार्य हेतु 02 कालखण्ड/पीरियड/घण्टा का अध्यापन/प्रशिक्षण प्रति सप्ताह 15 सप्ताह के लिए किया गया टीचिंग लर्निंग एक क्रेडिट कहलाता है। अर्थात सेमेस्टर अंतर्गत कुल 30 घण्टे/कालखण्ड का किया गया प्रायोगशाला/फिल्ड वर्क/प्रोजेक्ट वर्क का कार्य एक क्रेडिट होगा।

प्रश्न 4. CBCS से क्या तात्पर्य है?

उत्तर – CBCS का पूर्ण रूप है:– चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (Choice Based Credit System) है जिसके अंतर्गत एक संकाय का विद्यार्थी दूसरे संकाय का विषय जो क्रेडिट पद्धति पर आधारित है को अध्ययन हेतु चयन कर सकता है

प्रश्न 5. बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास (Multiple Entry & Multiple Exit) का क्या अर्थ है?

उत्तर – बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है जिसमे विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार प्रवेश एवं निकास कर सकता है परन्तु उसे उक्त स्नातक के पाठ्यक्रम को अधिकतम 07 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। 07 वर्ष में पूर्ण न करने की स्थिति में वह पाठ्यक्रम से बाहर हो जाएगा। अर्थात किसी विद्यार्थी द्वारा बहु–प्रवेश एवं बहु–निकास का लाभ अधिकतम 07 वर्ष के अन्तर्गत हीं लिया जा सकता है।

प्रश्न 6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत DSC, DSE, GE, AEC, SEC, VAC का क्या तात्पर्य है?

उत्तर – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहु–संकायी एवं बहु विषयी पाठ्यक्रम पद्धति अंतर्गत उपयोग में किये जा रहे उक्त शब्दों की व्याख्या निम्नानुसार है–

DSC- Discipline Specific Course (विषय विशिष्ट पाठ्यचर्या) – किसी विषय /डिसीप्लीन को परिभाषित करने वाला मूल पाठ्यचर्या को ही **DSC** कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अर्न्तगत पूर्व की भाँति विद्यार्थीयों द्वारा चयनित तीन विषय /डिसीप्लीन के **DSC** का अध्ययन प्रति सेमेस्टर किया जाना है।

DSE - Discipline Specific Elective (विषय विशिष्ट ऐच्छिक) – किसी विषय/डिसीप्लीन के संबंधित विशेष विषय शाखा की पाठ्यचर्या को **DSE** कहा जाता है। इसके अंतर्गत इन्टर डिसीप्लीनरी पाठ्यचर्चा भी सम्मिलित किये जाते है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थियों द्वारा चयनित इच्छाकृत विषय/डिसीप्लीन के **DSE** का अध्ययन तृतीय सेमेस्टर से किया जा सकेगा।

GE - Generic Elective (सामान्य ऐच्छिक) – मूल संकाय के अतिरिक्त किसी संकाय के विषय /डिसीप्लीन के कोर्स को ही **GE** कहा जाता है। वर्तमान सत्र से प्रदेश में संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली अर्न्तगत विद्यार्थीयों द्वारा अन्य संकाय के किसी डिसीप्लीन के कोर्स का चयन **GE** के रूप मे किया जायेगा। अर्थात कला संकाय के विद्यार्थी विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी कला एवं वाणिज्य संकाय के तथा वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी कला एवं विज्ञान संकाय के कोर्स **GE** के रूप में चयन कर सकते हैं। यद्यपि प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थीयों द्वारा **GE** का चयन किया जाना अनिवार्य है, तथापि तृतीय सेमेस्टर से **GE** का चयन करना अथवा नहीं करना उनकी इच्छा पर आधारित होगा।

AEC- Ability Enhancement Course (योग्यता अभिवृद्धि पाठ्यचर्या) – सामान्य योग्यता में यथेष्ट वृद्धि कर उपयुक्त स्नातक की योग्यता प्रदर्शित करने वाला कोर्स को **AEC** कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः विभिन्न भाषा एवं पर्यावरण के ज्ञान सम्बन्धित पाठ्यचर्या सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार विद्यार्थीयों द्वारा प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक 2–2 क्रेडिट के **AEC** का अध्ययन किया जायेगा जिसमें पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी, हिंदी एवं अन्य संप्रेषणीय भाषा सम्मिलित हैं।

SEC- Skill Enhancement Course (कौशल अभिवृद्धि पाठ्यचर्या) – उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाला कोर्स को **SEC** कहा जाता है। प्रावधानानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित कौशल अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर में अध्यायन किया जावेगा।

VAC- Value Added/Addition Course (मूल्य वर्धित पाठ्यचर्या) – उपयुक्त स्नातक में कौशलता की यथेष्ट वृद्धि करने वाला कोर्स को **VAC** कहा जाता है। प्रावधानानुसार इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय में संचालित मूल्य अभिवृद्धि कोर्स के समूह से चयनित कर क्रमशः प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में अध्यायन किया जावेगा।

प्रश्न 7. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो गया है?

उत्तरः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 एवं 4 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम दोनों का प्रांवधान है, जो पूर्णतः विद्यार्थी के इच्छा पर आधारित होगा। यदि विद्यार्थी चाहे तो वह 03 वर्ष की निर्धारित कोर्स अध्ययन करने के पश्चात निर्धारित पाठ्यक्रम की डिग्री प्राप्त कर पाठ्यक्रम छोड़ सकता है। 04 वर्ष पूर्ण करने की कोई बाध्यता नहीं हैं। यदि विद्यार्थी आगे अध्ययन चाहता है तो वह चौथे वर्ष (7वें एवं 8वें सेमेस्टर) हेतु निर्धारित कोर्स का अध्ययन, आनर्स अथवा आनर्स विथ रिसर्च की उपाधि हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा। {तीन वर्ष के पश्च्यात विद्यार्थी को प्राप्त अंक का प्रतिशत यदि यदि 75 या उससे अधिक हो तो वह चौथे वर्ष में आनर्स विथ रिसर्च या आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश लेगा। यदि विद्यार्थी दारा प्राप्त अंक का प्रतिशत 75 से कम है तो वह केवल आनर्स पाठ्यक्रम में ही प्रवेश ले पाएगा।}

प्रश्न 8. क्या विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर : उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 या 4 वर्षीय स्नामक पाठ्यक्रम ही संचालित हैं, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम नहीं । परन्तु यदि कोई विद्यार्थी 3 या 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तथा परिस्थितिवश किसी कारण (आर्थिक/पारिवारिक या अन्य किसी कारण) से पाठ्यक्रम को एक वर्ष (02 सेमेस्टर) के पश्चात छोड़ना चाहता है तो उस स्थिति में उसे दोनों सेमेस्टर के कुल 40 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 04 क्रेडिट का वोकेशनल/कौशल कोर्स, किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्लेटफॉर्म से अर्जित करना होगा। कुल 44 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत सर्टिफिकेट की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि दो वर्ष (04 सेमेस्टर) के पश्च्यात छोड़ना चाहता है तो उस स्थित में उसे चारों सेमेस्टर के कुल 80 क्रेडिट अर्जित करते हुए अतिरिक्त 04 और क्रेडिट का वोकेशनल/कौशल कोर्स, किसी मान्यता प्राप्त ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्लेटफॉर्म से अर्जित करना होगा । तद्नुसार कुल 84 क्रेडिट अर्जित करने पर उसे निर्धारित संकाय के अंतर्गत डिप्लोमा की उपाधि प्रदान की जाएगी।

प्रश्न 9. क्या विद्यार्थी के द्वारा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के एक एक विषय के DSC का चयन किया जा सकता है?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्तर्गत संचालित मल्टीडिसीप्लीनरी पाठ्यक्रम प्रणाली के प्रावधानानुसार विद्यार्थी किसी एक संकाय के ही तीन विषय/डिसीप्लीन का चयन कर सकता है। अलग-अलग संकाय से विषय/डिसीप्लीन का चयन करने का प्रावधान नहीं है। अपितु अन्य संकाय से विषय/डिसीप्लीन का चयन GE के रूप में किया जाना है।

प्रश्न 10. क्या विद्यार्थी GE (Generic Elective) में अपनी इच्छानुसार कोई भी विषय का चयन कर सकता है?

उत्तर. वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी अन्य संकाय का उसी विषय मात्र का GE चयन कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गए महाविद्यालय में संचालित है।

प्रश्न.11. क्या कोई विद्यार्थी अन्य महाविद्यालय में संचालित विषय/विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है?

उत्तर. वर्तमान में लागू प्रावधानानुसार कोई विद्यार्थी केवल उसी विषय/विषयों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है जो उसके द्वारा प्रवेश लिए गये महाविद्यालय में उपलब्ध है।

प्रश्न 12. SWAYAM एवं MOOC क्या हैं?

उत्तर. SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) भारत सरकार का पोर्टल है जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करनेवाला एक निःशुल्क मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है। MOOC (Massive Open Online Course) एक विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य वेब के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है।

प्रश्न 13. क्या पूर्व की तरह सम्पूर्ण अंक वार्षिक परीक्षा पर ही आधारित हैं?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में आतंरिक मूल्यांकन पर 30 प्रतिशत अंक एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा पर 70 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थियों को आतंरिक परीक्षा एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा दोनों के अंकों को मिलाकर उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रश्न 14. क्या अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए आतंरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है?

उत्तर. सतत आतंरिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंत सेमेस्टर परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जायेंगे। अतः सतत् आतंरिक मूल्यंकन में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

प्रश्न 15. सतत् आतंरिक मूल्यांकन में कितने आतंरिक परीक्षाएं होंगी और क्या सभी का अंक सेमेस्टर परीक्षा के अंक के साथ जुड़ेगा?

उत्तर. वर्तमान में प्रयुक्त प्रावधानानुसार प्रति सेमेस्टर प्रति कोर्स के सतत् आतंरिक मूल्यंकन (CIA) अन्तर्गत दो टेस्ट/क्विज परीक्षा एवं एक एसाईनमेंट होगी । दो टेस्ट/क्विज परीक्षा में प्राप्त बेहतर अंक तथा एसाईनमेंट में प्राप्त अंक का योग सेमेस्टर परीक्षा के अंको के साथ जोड़ा जाएगा।

उदाहरणार्थ 100 अंक का कोर्स में 30 अंक सत्त आतंरिक मूल्यंकन (CIA) के लिए निर्धारित है, जहाँ 20–20 अंक का दो टेस्ट/क्विज परीक्षा होगी तथा 10 अंक का एसाईनमेंट दिया जायेगा । यदि प्रथम टेस्ट/क्विज परीक्षा में 12 अंक, द्वितीय टेस्ट/क्विज परीक्षा में 17 अंक तथा एसाईनमेंट में 08 अंक प्राप्त होता है तो 17+08 = 25 अंक अंत सेमेस्टर परीक्षा के प्राप्तांक में जोडा जायेगा।

प्रश्न.16. क्या विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर. विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है परंतु उसे सतत् आतंरिक मूल्यंकन (CIA) में संम्मिलित होना तथा अंत सेमेस्टर

परीक्षा में परीक्षा फॉर्म जमा कर अंत सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। कतिपय कारणवश विद्यार्थी अंत सेमेस्टर परीक्षा में अंशतः या पूर्णतः उपस्थित नहीं होता है अथवा पूर्णतः उपस्थित होकर अंशतः या पूर्णतः क्रेडिट अर्जित करता है तो भी वह द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

प्रश्न. 17. क्या विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में बिना कोई क्रेडिट अर्जित किये तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है?

उत्तर. नहीं, विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट का 50% क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है। अर्थात तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर कुल क्रेडिट 40 में से न्यूनतम 20 क्रेडिट अर्जित करना अनिवार्य है।

प्रश्न.18. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सत्र 2024–25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी लागू होगी?

उत्तर. सत्र 2024–25 से स्नातकोत्तर कक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है। आगामी सत्रों से स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की जायेगी।

प्रश्न.19. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधान स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का आंशिक रूपांतरित प्रारूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों पर लागू होंगे। स्वध्यायी विद्यार्थी पूर्ववत स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करेगे परन्तु आरम्भ में हीं पंजीयन/नामांकन कराना होगा तथा निर्धारित अवधि अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय में, जिसमे वह पंजीबद्ध हुआ है, निर्धारित योजना अनुरूप सत्त आतंरिक मूल्यंकन (CIA) मे सम्मिलित होना होगा।

प्रश्न. 20. क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा ?

उत्तर. उल्लेखित है कि विगत सत्र तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा स्वेच्छिक महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन भरा जाता रहा है। वर्तमान प्रावधानानुसार सत्रारम्भ में (माह अगस्त–सितम्बर) स्वध्यायी विद्यार्थियों को स्वेच्छिक महाविद्यालय द्वारा पंजीयन/नामांकन कार्य पूर्ण करना होगा। पूनः विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचनानुसार परीक्षा आवेदन पूर्ववत भरा जायेगा।

प्रश्न. 21. क्या स्वाध्यायी विद्यार्थियों का भी सतत् आतंरिक मूल्यांकन (CIA) होगा ?

उत्तर. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के पालनार्थ स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी सतत् आतंरिक मूल्यांकन (CIA) में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, जिसका स्वरूप/कार्य योजना विश्वविद्यालय के दिशा –निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय द्वारा सूचित किया जायेगा ।

उच्च शिक्षा से सम्बद्ध समस्त हितग्राहियों से अपील है कि ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अन्तर्गत*** *सत्र 2024–25 से प्रदेश में संचालित* ***3/4 वर्षीय स्नातक पाठ्क्रम सम्बन्धित कोई प्रश्न/जिज्ञासा अथवा शंका हो तो ई–मेल*** *nepcg2020@gmail.com अथवा* ***Whatsapp No. 8982616484*** *पर विषय "FAQ NEP 2020" लिख कर प्रेषित करनें का कष्ट करें।*

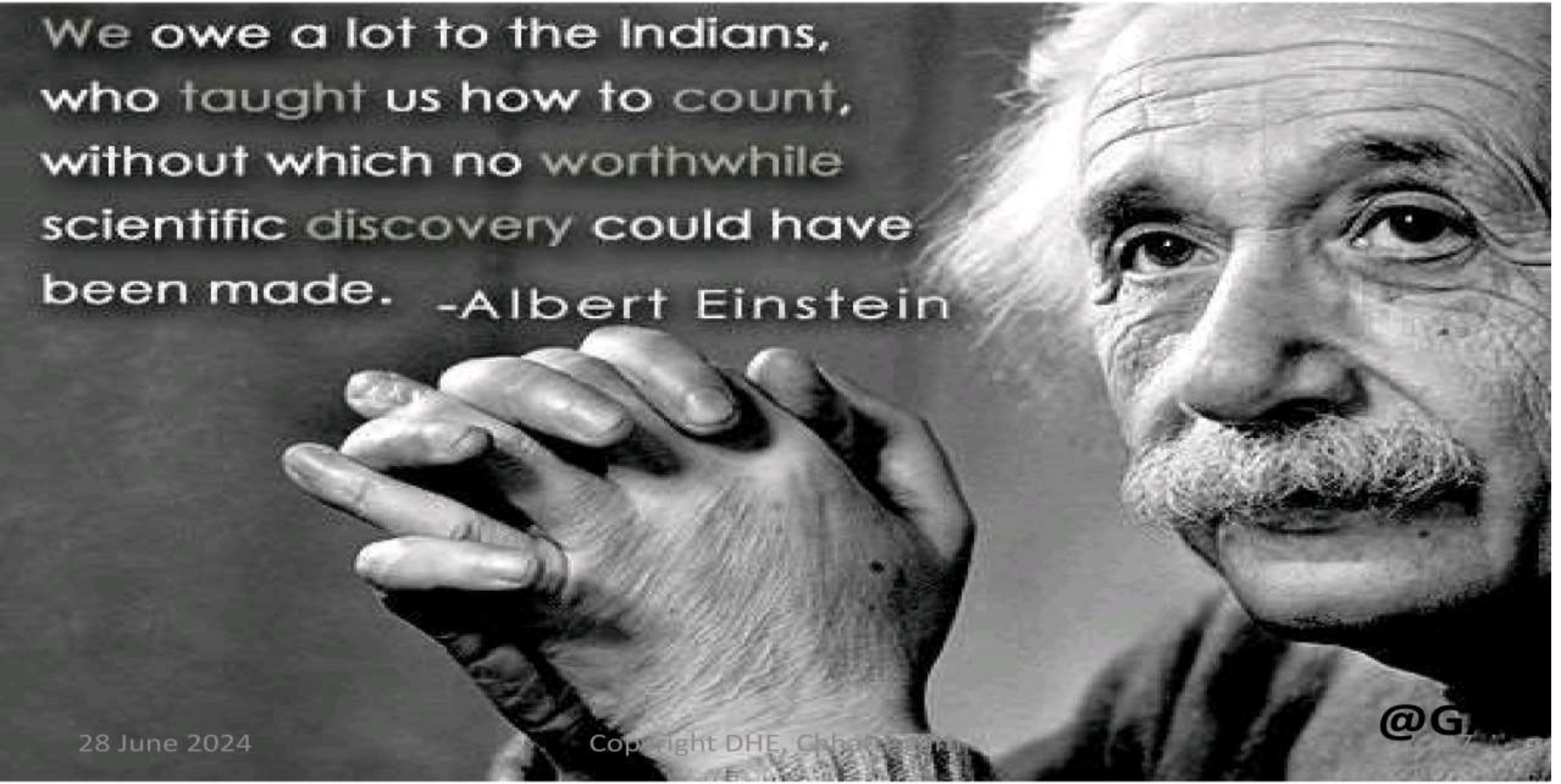
We owe a lot to the Indians,
who taught us how to count,
without which no worthwhile
scientific discovery could have
been made. -Albert Einstein

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

उच्च शिक्षा विभाग ,छत्तीसगढ़

Follow us on Social Media

सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें

YouTube

X (Twitter)

Facebook

Instagram

ईमेल - highereducg@gmail.com

Higher Education Department, Chhattisgarh

Thank You